न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/344

1. चौथमल आत्मज भैरूलाल जी जाति धाकड ।
2. प्रहलाद आत्मज भैरूलाल जाति धाकड (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. जानकी बाई बेवा प्रहलाद ।
   2/2. प्रेम कुमार आत्मज प्रहलाद ।
   2/3. शम्भूदयाल आत्मज प्रहलाद ।
   2/4. हरीश चन्द आत्मज प्रहलाद ।
   2/5. कमला बाई पुत्री प्रहलाद ।
   2/6. कांति बाई पुत्री प्रहलाद ।
   2/7. महावीर आत्मज प्रहलाद मृतक जरिये वारिसान
   2/7/1. द्रोपती बेवा महावीर ।
   2/7/2. प्रीति पुत्री महावीर नाबालिग जरिये वली माता ।
   2/7/3. खुशबू पुत्री महावीर नाबालिग जरिये वली माता ।
   2/7/4. भारती पुत्री महावीर नाबालिग जरिये वली माता जाति धाकड निवासीगण ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मीरा विजय पत्नी महावीर जी ।
2. नेहा विजय पुत्री महावीर जी ।
3. शिल्पा विजय पुत्री महावीर जी ।
4. ऋतु उर्फ ऋतिका विजय पुत्री महावीर जाति महाजन निवासीगण खाई रोड नयापुरा कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री विरेन्द्र कुमार राठौर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 06.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 एवं 92 (ए) अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 403/127 रकबा 49 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि भैरूलाल, रघुनाथ पि0 कनीराम जी धाकड के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । उक्त भूमि में भैरूलाल व रघुनाथ 1/2 हिस्से के खातेदार थे। भैरूलाल जी का जब स्वर्गवास हुआ तब वादी कम 1 नाबालिग था तथा वादी कम 2 के पिता प्रहलाद बडे थे भैरूलाल जी के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि वादी कम 1 व प्रहलाद जी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई । वादीगण उक्त आराजी में निहित 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते रहे और आज भी काबिज काश्त हैं । वादीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने पर जानकारी हुई कि उक्त आराजी प्रतिवादी कम 1 ने सेटलमेंट अधिकारियों से मिलकर अपने नाम दर्ज करवा ली है । प्रतिवादी कम 1 उक्त आराजी को अपने नाम खाते में दर्ज होने से उक्त भूमि को बेचान एवं अन्य प्रकार से अन्तरण कर सकते हैं । ऐसी स्थिति में प्रतिवादी कम 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण के 1/2 हिस्से के बाद सेटलमेंट नवीन खसरा नम्बर 162/295 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा पर हुए हाल सेटलमेंट नवीन खसरा नम्बर 143 रकबा 4.03 कर केचमेंट बाद कायम खसरा नम्बर 752 रकबा 3.75 हैक्टर आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी कम 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ग्राम भदाना की खसरा नम्बर 752 रकबा 3.75 हैक्टर आराजी को रहन, बेचान हिब्बा आदि नहीं करे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2018 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2018 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सेटलमेंट ने अपीलान्ट के हिस्से वाली भूमि के नवीन खसरा नम्बर 162/295 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा कायम कर वादीगण की बिना जानकारी व सूचना के धूली बाई बेवा हरनाथ रेस्पोडेन्ट की दादी के नाम दर्ज कर दिया । हाल सेटलमेंट में नवीन खसरा नम्बर 143 रकबा 4.03 हैक्टर व बाद केचमेंट खसरा नम्बर 752 रकबा 3.75 हैक्टर कायम किया गया । धूली बाई के स्वर्गवास के बाद रेस्पोडेन्ट के पिता व पति महावीर जी के नाम त्रुटिपूर्ण रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया । अपीलान्ट द्वारा स्वयं की साक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कर देने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट के प्रभाव में आकर दावा खारिज कर दिया । अपीलान्ट के पिता व दादा भैरूलाल जी द्वारा अथवा प्रहलाद जी, चौथमल जी ने अपने हिस्से की आराजी का रेस्पोडेन्ट को आराजी का बेचान नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि ग्राम पंचायत को किसी की आराजी को किसी के नाम बिना दस्तावेज के दर्ज करने का अधिकार नहीं है । क्या इंतकाल से अधिकार समाप्त होकर प्राप्त होते हैं । तत्कालीन समय भी रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर ही अधिकार प्राप्त होते

थे और समाप्त होते थे । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 09.05.2018 को निर्णय करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी किया न राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा कोई तारीख पेशी दी गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था जिसको त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा भैरूलाल और 1/2 हिस्सा रघुनाथ का था । भैरूलाल वादीण के पिता व दादा थे । भैरूलाल जी के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि चौथमल एंव प्रहलाद के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की तब से चौथमल एवं प्रहलाद आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे । प्रहलाद की मृत्यु के बाद उनके वारिस काबिज काश्त हैं । अपीलान्टगण की आराजी के नवीन खसरा नम्बर 162/295 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा कायम किया था और वादीगण के बिना जानकारी एवं सूचना के धूली बाई बेवा हरनाथ रेस्पोडेन्ट की दादी के नाम दर्ज कर दिया हाल सेटलमेंट में नवीन खसरा नम्बर 143 रकबा 4.03 हैक्टर व वाद केचमेंट खसरा नम्बर 752 रकबा 3.75 हैक्टर कायम किया गया है । धूली बाई के स्वर्गवास के बाद रेस्पोडेन्ट के पिता व पति महावीर जी के नाम त्रुटिपूर्ण रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी। अपीलान्ट के पिता व दादा भैरूलाल जी द्वारा अथवा प्रहलाद, चौथमल ने अपने हिस्से की आराजी का रेस्पोडेन्ट को बेचान नहीं किया है और न ही कब्जा दिया है । इसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई कथन आलेखित नहीं किया है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा उक्त आराजी क्रय का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है । इसके बावजूद बेचान माना है जो त्रुटिपूर्ण है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश किये गये दस्तावेज में अपीलान्ट ने अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया है फिर भी अपीलान्ट का दावा खारिज किया है जिस समय आराजी धूलीबाई के नाम दर्ज की गई थी उस समय अपीलान्ट क्रम 1 नाबालिग था फिर भी वादीगण अपीलान्ट का दावा खारिज कर दिया । तनकी नम्बर 01 को अपीलान्टगण ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित किया था । ग्राम पंचायत को किसी भी आराजी को बिना किसी दस्तावेज के किसी के नाम दर्ज करने का अधिकार नहीं है । इन्द्राज अवैध है । पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर ही अधिकार प्राप्त होते है । ग्राम पंचायत को इंतकाल तस्दीक करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इंतकाल नम्बर 601 न तो पत्रावली पर मौजूद है और न रेस्पोडेन्ट द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है फिर भी इंतकाल नम्बर 601 को आधार बनाकर अपीलान्ट का नाम खारिज कर दिया । भू–प्रबन्ध विभाग के पर्चा लगान में त्रुटिपूर्ण रूप से इंतकाल नम्बर 601 का इन्द्राज है । उक्त पट्टा प्रहलाद व चौथमल के नाम जारी किया गया है परन्तु सेटलमेंट विभाग ने गलत रूप से धूली बाई बेवा हरनाथ के नाम दर्ज कर दिया । इंतकाल नम्बर 620 पर वादी ने अपने हस्ताक्षर से इंकार किया है । अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत 100/–से

अधिक है उसका पंजीयन होना अनिवार्य है । सेटलमेंट विभाग ने गलत रूप से धूली बाई के नाम दर्ज की है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के अभिभाषक ने बहस नहीं की है दिनांक 11.06.2018 की आदेशिका कन्सोलिडेशन के प्रार्थना पत्र को खारिज करने से सम्बन्धित है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2017 पेज 513 उद्धरत किया ।

8. रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा का दावा पेश किया है और यह कथन किया है कि वागद्रस्त आराजी उनके खाते की है । धूली का नाम गलत रूप से दर्ज किया गया है । सम्पूर्ण आराजी पर हरनाथ जैली के रूप में संवत् 2003 में दर्ज था । आराजी हरनाथ को बेचान की थी । हरनाथ की पत्नी का नाम धूली बाई है । सन् 1958 में आराजी धूली बाई के नाम दर्ज हो चुकी है । अपीलान्ट ने सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के आदेश को कहीं भी चैलेंज नहीं किया है । प्रदर्श– ए–1 नामान्तरकरण संख्या 620 है । प्रदर्श– 3 सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी का आदेश है । प्रदर्श– 2 में जैली हरनाथ दर्ज है । वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा नहीं है उनका 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । कब्जा रेस्पोडेन्टगण का है, धूली बाई की वसीयत से आराजी महावीर के नाम आई है । 50 वर्ष बाद दावा पेश किया है जो अवधि बाधित है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से वादीगण का वाद खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2018 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 2003 पेज 2073, आरआरडी 1989 पेज 562, आरआरडी 1987 पेज 564, आरआरटी 2011 (1) पेज 612, आरआरडी 1997 पेज 30, आरआरडी 1992 पेज 56, आरआरडी 1990 पेज 103 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 प्रदर्श– 1, नकल जमाबन्दी संवत् 2003 से 2006 प्रदर्श–2, भू–प्रबन्ध विभाग का पर्चा लगान प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श–4, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 5, नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2038 से 2057 प्रदर्श–6, नकल नामान्तरकरण संख्या 185 प्रदर्श– 7, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श– 8 एवं 9 पेश किये हैं ।

10. प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात में नकल नामान्तरकरण संख्या 620 प्रदर्श– ए–1 संलग्न है । वकालतनामा प्रदर्श– ए–2 है, सिंचाई रसीद प्रदर्श– ए– 3 लगायत ए–14 संलग्न हैं, बिजली विभाग का बिल प्रदर्श –ए–15 लगायत ए–18 संलग्न हैं । नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– ए–19, नकल नामान्तरकरण संख्या 506 प्रदर्श– ए–20 नकल जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 प्रदर्श– ए– 21 संलग्न है । मुनाफा काश्त का स्टाम्प प्रदर्श– ए–23 एंव ए–24 संलग्न हैं ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर बयान चौथमल पीडब्ल्यू–1, हरीश चन्द पीडब्ल्यू–2 एवं प्रतिवादी की ओर से ऋतिका डीडब्ल्यू–1, गोविन्द मालव डीडब्ल्यू–2 कराये हैं।

12. अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर निम्नांकित तनकियॉ कायम की है :–

1. आया ग्राम भदाना स्थित वादीगण के पूर्वजों के खातेदारी की आराजी को प्रतिवादी ने सेटलमेंट विभाग से मिलकर नाम दर्ज करवा ली जिसके वादीगण खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं ।

2. आया प्रतिवादी के पूर्वजों ने वादीगण के पूर्वजों से ग्राम भदाना स्थित आराजी खरीद करने से राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज किया है –

3. सहायता –

13. वादीगण अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है और दावे की मद संख्या 08 में यह अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी कम 1 और धूली बाई का कभी भी कब्जा नहीं रहा है । जवाबदावे में प्रतिवादीगण ने मद संख्या 08 में यह कथन किया है कि आराजी पर वादीगण एवं उसके पूर्वजों का कभी कब्जा नहीं रहा है । वाद की मद संख्या 03 में वादीगण ने यह कथन किया है कि वादीगण इस आराजी में 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं और आज भी काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । जवाबदावे में प्रतिवादीगण ने मद संख्या 03 में यह कथन किया है कि वादपत्र की मद संख्या 03 अस्वीकार है । वादीगण का इस आराजी पर कभी भी कोई हित–निहित नहीं रहा है और वो कभी काबिज काश्त नहीं रहे हैं और न ही काबिज काश्त हैं। वादग्रस्त आराजी पर पूर्व में हरनाथ काबिज काश्त थे और उनकी मृत्यु के पश्चात् धूली बाई और धूली बाई के पश्चात् वसीयत के आधार पर महावीर प्रसाद और महावीर के इंतकाल के पश्चात् प्रतिवादीगण काबिज काश्त हैं । वादीगण ने हक घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है और यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा है । प्रतिवादीगण ने इस तथ्य को अस्वीकार किया है और वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा बताया है । ऐसी स्थिति में यह तनकी बनाया जाना आवश्यक है कि –दावा दायरी के दिनांक को वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा है अथवा नहीं क्योंकि वादीगण ने दावा हक घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है वो वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा बता रहे हैं । अतः निम्नानुसार एक अतिरिक्त तनकी कायम की जाती है कि –

"आया दावा दायरी के दिनांक को वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा है" – वादी

14. उपरोक्तानुसार कायम की गई अतिरिक्त तनकी का साक्ष्य के आधार पर विनिश्चय करने के लिए हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कायम की गई

अतिरिक्त तनकी के बाबत् यदि पक्षकारान अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहे तो उन्हें अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से पत्रावली प्राप्ति के 03 माह के अन्दर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 06.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा